

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों के हितार्थ "मध्यान्ह भोजन सहायता" योजना की स्वीकृति तथा उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 09/1560/36-2-2014-62/2014 दिनांक 17.11.2014 द्वारा दी गयी अनापत्ति के क्रम में एतद्द्वारा निर्माण श्रमिकों के हितार्थ "मध्यान्ह भोजन सहायता" योजना अधिसूचित की जाती हैं

अतएव उक्त योजना तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रवर्तित व लागू की जाती है।

(के०के० पुरवार)

सचिव, बोर्ड

कार्यालय, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ

पत्रांक: 6453-60/भ०नि०बो०(837)-14

दिनांक:- 19.11.2014

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपयुक्त के साथ-साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
5. श्रमायुक्त, उ०प्र० कानपुर।
6. मेसर्स मार्ग साफ्टवेयर साल्यूशन, लखनऊ को इस आशय के साथ कि अधिसूचना को योजना के साथ वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाइल हेतु।
8. श्रम अनुभाग-2 को उनकी अनापत्ति संख्या : 09/1560/36-2-2014-62/2014, दिनांक 17.11.2014 के क्रम में सूचनार्थ।

संलग्नक - यथोक्त।

(राजीव मिश्रा)
सहायक सचिव, बोर्ड।